Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

215-2018/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, DECEMBER 26, 2018 (PAUSA 5, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 26th December, 2018

No.40-HLA of 2018/72/27064.— The Haryana Police (Amendment) Bill, 2018, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 40- HLA of 2018.

THE HARYANA POLICE (AMENDMENT) BILL, 2018

A

BILL

Further to amend the Haryana Police Act, 2007.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Police (Amendment) Act, 2018. Short title.

2. In the Haryana Police Act, 2007 (hereinafter referred to as the principal Act), for the words "State Police Board", wherever occurring, the words "State Security Commission" shall be substituted. Substitution of references to certain expressions by certain other expressions.

3. For section 6 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:- Substitution of section 6 of Haryana Act 25 of 2008.

"6. Selection and term of office of Director General of Police.- (1) The State Government shall appoint the Director General of Police from amongst the Indian Police Service officers from a panel of at least three eligible officers borne on the cadre of the State of Haryana or any other State cadre, who are in the rank of Director General of Police, based on their service record and range of experience, having a reasonable period of remainder service left as on the date of appointment:

Provided that such a panel shall be prepared by a committee comprising of the Chief Secretary, Haryana, the Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Home Department and the outgoing Director General of Police, Haryana or an expert in internal security as may be decided by the State Government.

(2) The Director General of Police so appointed shall have a tenure of not less than one year extendable up to one more year irrespective of his date of superannuation:

Provided that the Director General of Police may be relieved of his responsibilities from the post before the expiry of his tenure by the State Government in consultation with the State Security Commission, consequent upon:

(a) conviction by a court of law in a criminal offence or where charges have been framed by a court in a case involving corruption or moral turpitude; or

(b) punishment of dismissal, removal or compulsory retirement from service or of reduction to a lower post, awarded under the provisions of the All India Services (Discipline and Appeal) Rules, 1969 or any other relevant rule; or

(c) incapacitation by physical or mental illness or otherwise unable to discharge his functions as the Director General of Police; or

(d) promotion to a higher post under either in the State or the Central Government.".

Substitution of section 26 of Haryana Act 25 of 2008.

4. For section 26 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"26. Composition of State Security Commission.- (1) The State Security Commission shall consist of the following members, namely:-

(a) the Chief Minister as its Chairperson;

(b) the Home Minister as Vice-Chairperson;

(c) the Leader of the Opposition in the State Assembly;

(d) a retired High Court Judge;

(e) the Advocate General, Haryana;

(f) the Chief Secretary;

(g) the Administrative Secretary In-charge of the Home Department;

(h) the Director General of Police as its Member-Secretary; and

(i) two non-political persons (hereinafter referred as independent members) of high integrity, expertise and competence in administration, law enforcement and security related matters to be nominated by the State Government. One member shall be a retired officer of Indian Administrative Service. The second member shall be nominated by the State Government from the field of public service, legal profession or social organizations with at least fifteen years experience in that field.

Note.- The independent members shall be honorary members.

(2) In the case of premature removal of Director General of Police, Administrative Secretary, Home shall act as the Member-Secretary of the Commission and Director General of Police shall not be Member of the Commission.

(3) No Serving Government employee shall be appointed as an independent member.

(4) Any vacancy in the State Security Commission shall be filled up as soon as practicable after the seat has fallen vacant:

Provided that the Chief Minister may nominate any other Minister as the Vice-Chairperson in the event of his being the Home Minister also.".

Substitution of section 34 of Haryana Act 25 of 2008.

5. For section 34 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"34. Police Establishment Committee.- (1) The State Government shall constitute a Police Establishment Committee which shall consist of the following police officers, at the headquarter, namely:-

(a)	the Director General of Police	Chairperson
(b)	the Head of State Intelligence Wing	Member
(c)	the Head of the Administration Wing	Member
(d)	the Head of Law and Order Wing	Member

(2) The Police Establishment Committee shall decide with regard to transfer and posting of police officers of the rank of Inspectors and make recommendation on posting/transfers of officers of rank of Deputy Superintendent of Police and Superintendent of Police.

(3) The transfer and posting of subordinate ranks within a police range shall be decided by the Inspector General of Police of the range.

(4) The postings and transfer of officers of subordinate ranks within a police districts shall be decided by the Superintendent of Police of the district.

(5) The Police Establishment Committee may prepare an action plan for improving the infrastructure facilities, professionalism, general discipline in the service, modernization, training, welfare of the police personnel and any other work assigned by the State Government.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Police Act, 2007 was notified on 02.06.2008 in pursuance to the directions of Hon'ble Supreme Court of India in W.P. (C) No. 310 of 1996-Parkash Singh Vs Union of India and Others. Police is a subject- matter covered under Entry 2, List II of the Seventh Schedule of Constitution and thus is under the legislative domain of the State Government.

In order to bring the provision of State Police Board of the Act within the spirit of the above mention directions, the State Police Board is required to be substituted with State Security Commission. There is no procedure for selection of Director General of Police. For the appointment of Director General of Police, who is responsible for administration controlling and supervising the police service to ensure its efficiency, effectiveness, responsiveness and accountability in the State a transparent procedure needs to be adopted.

Though, in the above direction, the minimum tenure of DGP was 2 years, yet, it is felt that the period of minimum 2 years would be a long period and in order to rule out the possibility of absolutism and complacency, it should be kept adaptable. Hence, the term of Director General of Police is proposed to be to be prescribed as not less than one year extendable to one more year. Since, the State Security Commission the apex body to take broad policy decisions, the removal of Director General of Police is proposed to be made in consultation with the State Security Commission.

A provision is proposed to be made regarding transfer/posting of police officers under section 34 of the Act in order to bring the same within the spirit of the above mention directions.

Hence the Bill.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 26th December, 2018.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2018 का विधेयक संख्या 40–एच0एल0ए0

हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2018

हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007,

को आगे संशोधित

करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहतरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) में, ''राज्य पुलिस बोर्ड'' शब्द, जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर, ''राज्य सुरक्षा आयोग'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। कतिपय अन्य अभिव्यक्तियों द्वारा कतिपय अभिव्यक्तियो के संदर्भों का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :– 2008 का हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 6 का प्रतिस्थापन।

''6. पुलिस महानिदेशक का चयन तथा पदावधि.– (1) राज्य सरकार, हरियाणा राज्य संवर्ग अथवा किसी अन्य राज्य संवर्ग के कम से कम तीन पात्र अधिकारियों, जो अपनी सेवा रिकार्ड तथा रेंज अनुभव पर आधारित पुलिस महानिदेशक की पदवी के हों और नियुक्ति की तिथि को शेष रह गई सेवा की उचित अवधि रखते हों, के पैनल से भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों में से पुलिस महानिदेशक नियुक्त करेगी :

परन्तु ऐसा पैनल मुख्य सचिव, हरियाणा, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग और पदमुक्त पुलिस महानिदेशक, हरियाणा अथवा आन्तरिक सुरक्षा में किसी विशेषज्ञ से मिलकर बनने वाली समिति, जो राज्य सरकार द्वारा गठित की जाए, द्वारा तैयार किया जाएगा।

(2) इस प्रकार नियुक्त पुलिस महानिदेशक की पदावधि एक वर्ष से कम नहीं होगी जो उसकी अधिवर्षिता की तिथि पर विचार किए बिना एक और वर्ष तक विस्तारयोग्य होगी :

परन्तु पुलिस महानिदेशक को निम्नलिखित के परिणामस्वरूप राज्य सुरक्षा आयोग के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व उसके पद के उत्तरदायित्वों से भारोन्मुक्त किया जा सकता है–

(क) किसी आपराधिक अपराध में किसी विधि न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो अथवा जहां भ्रष्टाचार अथवा नैतिक अधमता वाले मामले में किसी न्यायालय द्वारा आरोप लगाए गए हों; या

(ख) अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 या किसी अन्य सुसंगत नियम के उपबन्धों के अधीन सेवा से पदच्युति, हटाना या अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा किसी निम्न पद पर अवनति का दण्ड दिया गया हो;

(ग) पुलिस महानिदेशक के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में शारीरिक या मानसिक बीमारी से असमर्थ हो गया हो या अन्यथा से अयोग्य हो गया हो; या

(घ) या तो राज्य या केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति होना।''।

4. मूल अधिनियम की धारा 26 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :– 2008 का हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 26 का प्रतिस्थापन।

''26. राज्य सुरक्षा आयोग का गठन.– (1) राज्य सुरक्षा आयोग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) मुख्य मन्त्री इसके अध्यक्ष के रूप में ;

(ख) गृह मन्त्री इसके उपाध्यक्ष के रूप में ;

(ग) राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष;

(घ) उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश;

(ङ) महाधिवक्ता, हरियाणा;

(च) मुख्य सचिव;

(छ) गृह विभाग का प्रभारी प्रशासकीय सचिव;

(ज) इसके सदस्य–सचिव के रूप में पुलिस महानिदेशक; तथा

(झ) उच्च सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता और प्रशासन, विधि प्रवर्तन तथा सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों में सक्षम दो गैर–राजनीतिक व्यक्तियों (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, निरपेक्ष सदस्यों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) को राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। एक सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा का सेवानिवृत्त अधिकारी होगा। दूसरा सदस्य, राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र में कम से कम पन्द्रह वर्ष के अनुभव सहित लोक सेवा, विधि व्यवसाय अथवा सामाजिक संगठनों के क्षेत्र से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

टिप्पण.– निरपेक्ष सदस्य अवैतनिक सदस्य होंगे।

(2) पुलिस महानिदेशक को समयपूर्व हटाने की दशा में, आयोग के सदस्य–सचिव के रूप में प्रशासकीय सचिव, गृह कार्य करेगा और पुलिस महानिदेशक आयोग का सदस्य नहीं होगा।

(3) कोई भी सेवारत सरकारी कर्मचारी निरपेक्ष सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(4) राज्य सुरक्षा आयोग में कोई रिक्ति, सीट के रिक्त होने के बाद, यथासाध्य शीघ्रता से भरी जाएगीः

परन्तु मुख्य मन्त्री, स्वयं गृह मन्त्री भी होने की दशा में, किसी अन्य मन्त्री को उपाध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकता है।''।

2008 का हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 34 का प्रतिस्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 34 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''34. पुलिस स्थापना समिति.– (1) राज्य सरकार पुलिस स्थापना समिति का गठन करेगी, जो मुख्यालय पर निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :–

(क)	पुलिस महानिदेशक	अध्यक्ष
(ख)	राज्य गुप्तचर विंग का मुखिया	सदस्य
(ग)	प्रशासन विंग का मुखिया	सदस्य
(घ)	विधि–व्यवस्था विंग का मुख्यिा	सदस्य

(2) पुलिस स्थापना समिति निरीक्षक रैंक के पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण तथा तैनाती के सम्बन्ध में विनिश्चय करेगी और पुलिस उप अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक के रैंक के अधिकारियों की तैनाती/ स्थानान्तरण की सिफारिश करेगी।

(3) पुलिस रैंज के भीतर अधीनस्थ रैंकों के स्थानान्तरण तथा तैनाती, रैंज के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा विनिश्चित की जाएंगी।

(4) पुलिस जिलों के भीतर अधीनस्थ रैंकों के अधिकारियों की तैनाती तथा स्थानान्तरण जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे।

(5) पुलिस स्थापना समिति अवसंरचना सुविधाओं, वृत्तिदक्षता, सेवा में सामान्य अनुशासन, आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, पुलिस कार्मिकों के कल्याण में सुधार तथा राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य हेतु कार्य योजना तैयार कर सकती है।''।

उद्‌देश्यों तथा कारणों का विवरण

रिट पिटिशेन (सिविल) नं0 310 आफ 1996– प्रकाश सिहं बनाम भारत सरकार तथा अन्य में माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में 2 जून, 2008 को हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 अधिसूचित किया गया था। संविधान की सातवीं अनुसूचि की सूची II की प्रविष्टि–2 में पुलिस से सम्बन्धित विषय–वस्तु शामिल है और इस प्रकार यह राज्य सरकार के विधायी अधिकार क्षेत्र के तहत आता है।

उपरोक्त वर्णित निर्देशों की मनोवृत्ति के भीतर, अधिनियम के राज्य पुलिस बोर्ड के उपबन्ध को अनुक्रम में लाने हेतू, राज्य पुलिस बोर्ड, राज्य सुरक्षा आयोग से प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है। पुलिस महानिदेशक के चयन के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति हेतू , पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता के दृष्टिगत राज्य में इसकी दक्षता, प्रभाविता, जवाबदेही तथा उतरदायित्व को सुनिश्चित करने हेतू पुलिस सेवा प्रशासन, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के लिए उतरदायी है।

तथापि, उपरोक्त निर्देशन में, पुलिस महानिदेशक की पदावधि कम से कम दो वर्ष थी, फिर भी यह महसूस किया गया कि न्यूनतम दो वर्ष की अवधि दीर्घ अवधि है और निरंकुशता की सम्भवता को समाप्त करने तथा सन्तोषप्रद अनुक्रम में, यह अनुकूलनियता होनी चाहिए। इसलिए पुलिस महानिदेशक की पदावधि, कम से कम एक वर्ष, जो एक और वर्ष विस्तारयोग्य है, के रूप में विहित की जानी प्रस्तावित है। इसलिए राज्य सुरक्षा आयोग व्यापक निति निर्णय लेने के लिए सर्व्रोतम निकाय है, राज्य सुरक्षा आयोग के परामर्श से पुलिस महानिदेशक को हटाया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त वर्णित निर्देशों की मनोवृत्ति को समरूप अनुक्रम में लाने हेतू , अधिनियम की धारा 34 के अधीन पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण/तैनाती के सम्बन्ध में उपबन्ध किए जाने प्रस्तावित हैं।

इसलिए यह अधिनियम, अधिनियमित हो।

मनोहर लाल,
मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 26 दिसम्बर, 2018.

आर0 के0 नांदल,
सचिव।